

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क. :- 522 / 2013)

(संस्थित दिनांक :- 06 / 08 / 13)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद चौराहा।

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. संजय सिंह माहौर पुत्र रमेश सिंह माहौर उम्र 24 वर्ष

03. भारत सिंह कुशवाह पुत्र हाकिम कुशवाह उम्र 33 वर्ष

निवासी : ग्राम सर्वा, थाना-गोहद चौराहा, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड।

..... अभियुक्तगण।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 22 / 12 / 2016 को घोषित)

01. आरोपीगण संजय एवं भारत पर धारा :- 147, 341 / 34 एवं 427 / 34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक : 07 / 02 / 2013 को शाम लगभग 07:45 बजे नेशनल हाईवे भिण्ड-ग्वालियर रोड सर्वा के पास, सहअभियुक्त एवं अन्य 30 लोगों के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया एवं उक्त विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सहअभियुक्त के साथ मिलकर वाहन आयशर 1110 क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 2214 में सवार शैलेन्द्र को उस दिशा में जाने से रोककर, जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी शैलेन्द्र को नुकसान कारित करने के आशय से फरियादी के वाहन आयशर क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 2214 के वाहन के शीशे एवं एंगल तोड़कर फरियादी शैलेन्द्र को 40,000 / - रुपये का नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 07 / 02 / 2013 को शाम लगभग 07:45 बजे नेशनल हाईवे भिण्ड-ग्वालियर रोड सर्वा के पास, आरोपीगण संजय सिंह, भारत सिंह तथा अन्य 30-40 अन्य व्यक्तियों द्वारा जाम लगाकर फरियादी शैलेन्द्र के वाहन आयशर क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 2214 का रास्ता अवरुद्ध करने, बलवा कारित करने एवं वाहन के शीशे एवं एंगल तोड़कर नुकसान करने की देहाती नालसी फरियादी शैलेन्द्र सिंह द्वारा लेखबद्ध कराये जाने पर आरोपीगण एवं अन्य 30-40 लोगों के विरुद्ध जीरो पर कायमी की गई। उक्त देहाती नालसी के आधार पर

आरोपीगण संजय, भारत एवं 30-40 लोगों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 40/13 अन्तर्गत धारा 147, 148, 341 एवं 427 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये गये। फरियादी के वाहन आयशर क्रमांक एम. पी.07/जी.ए./2214 में हुये नुकसान का नुकसानी पंचनामा बनाया गया। फरियादी शैलेन्द्र सिंह, साक्षी मायाराम एवं सद्दाम के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. आरोपीगण संजय एवं भारत के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 147, 341/34 एवं 427/34 के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उन्होंने आरोप से इंकार कर विचारण चाहा। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

01. क्या आरोपीगण ने दिनांक : 07/02/2013 को रात्रि लगभग 07:45 बजे नेशनल हाईवे भिण्ड-ग्वालियर रोड़ सर्वा के पास, सहअभियुक्त एवं अन्य 30 लोगों के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया ?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त, दिनांक, समय एवं स्थान पर, उक्त विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वाहन आयशर 1110 क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2214 में सवार शैलेन्द्र को उस दिशा में जाने से रोककर जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया?

03. क्या आरोपीगण ने उक्त, दिनांक, समय एवं स्थान पर, उक्त विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी शैलेन्द्र को नुकसान कारित करने के आशय से फरियादी के वाहन आयशर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2214 के वाहन के शीशे एवं एंगल तोड़कर फरियादी शैलेन्द्र को 40,000/- रुपये का नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की?

04. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय प्रश्न क्रमांक :- 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. अभियोजन साक्षी सद्दाम अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण संजय एवं भारत को नहीं जानता। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह फरियादी शैलेन्द्र को भी नहीं जानता। पुलिस ने घटना के बारे में उसका कोई बयान नहीं लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर सद्दाम अ.सा.04 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आयशर वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2214 उसके पिता इकबाल खान के नाम पंजीकृत है, जिसकी वह देखभाल करता है। साक्षी सद्दाम अ.सा.04 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि दिनांक : 07/02/13 को शैलेन्द्र भदौरिया नाम का ड्रायवर चला रहा था। साक्षी ने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वह उस समय शैलेन्द्र के साथ मालनपुर से अपनी आयशर गाड़ी से सामान भरने गोहद आ रहा था एवं उस समय गाड़ी को फरियादी शैलेन्द्र चला रहा था। साक्षी सद्दाम अ.सा.04 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि जैसे ही वह सर्वा के पास पहुँचे तो किसी एक्सीडेंट को लेकर 30-40 लोग हाथ में डण्डा लिये चक्काजाम किये हुये थे एवं चक्काजाम करने वाले लोगों में उक्त वाहन को रोककर उसके आयशर वाहन के शीशे एवं एंगल तोड़कर 40,000/- रुपये का नुकसान कारित किया था। सद्दाम अ.सा.04 को उसका पुलिस कथन प्र.पी.08 पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर साक्षी ने व्यक्त किया कि उसने ऐसा कथन पुलिस को नहीं दिया था, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वह आरोपीगण से मिलकर उन्हें बचाने के लिए आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

09. ग्यारह से अधिक अवसर दिये जाने के बाद भी अभियोजन कथित फरियादी शैलेन्द्र जो कि साक्षी सद्दाम अ.सा.04 का वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2214 का चालक था और जो कथित रूप से घटना के समय उक्त वाहन में सद्दाम अ.सा.04 के साथ सवार था, को प्रस्तुत करने में असफल रहा है। वैसे भी वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2214 के पंजीकृत स्वामी इकबाल के पुत्र सद्दाम अ.सा.04 ने आरोपित घटना के समय शैलेन्द्र के उक्त वाहन में उसके साथ उपस्थित या घटना के समय शैलेन्द्र द्वारा उक्त वाहन चलाने या शैलेन्द्र के उक्त वाहन के ड्रायवर होने के तथ्य से इन्कार किया है। ऐसी दशा में यदि अभियोजन द्वारा साक्षी शैलेन्द्र की साक्ष्य अंकित भी कराई जाती, तब भी उसका कोई लाभ अभियोजन को प्राप्त नहीं हो सकता था। हस्तगत प्रकरण के विवेचक द्वारा वाहन क्रमांक एम.पी.06/जी.ए./2214 के पंजीकृत स्वामी इकबाल को प्रकरण में साक्षी नहीं बनाया है। यदि उसे साक्षी बनाया गया होता

तो वह इस तथ्य का उत्तम साक्षी होता कि घटना के समय उसके वाहन क्रमांक एम. पी.07/जी.ए./2214 को कौन चालक चला रहा था। इस प्रकार सद्वाम अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

10. प्रकरण के कथित चक्षुदर्शी साक्षी मायाराम अ.सा.01 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा इस वावत् किसी अन्य चक्षुदर्शी साक्षी को अभियोजन साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया है।

11. अभियोजन साक्षी एसआई विलियम मुण्डा अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 07/02/2013 को थाना गोहद चौराहा में एसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा फरियादी शैलेन्द्र भदौरिया द्वारा रिपोर्ट करने पर उसके द्वारा ग्राम सर्वा आम रास्ता पर देहाती नालसी आरोपी संजय सिंह माहौर एवं भारत सिंह कुशवाह एवं 30-40 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध लेखबद्ध की गई, देहाती नालसी प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त देहाती नालसी के आधार पर थाने पर इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी, उसके पश्चात् अग्रिम विवेचना हेतु अपराध क्रमांक 40/13 अन्तर्गत धारा 147, 148, 341 एवं 427 भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसने फरियादी शैलेन्द्र की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उक्त दिनांक को उसके द्वारा साक्षी इकबाल एवं विवेक जैन के सामने आयशर वाहन में हुये नुकसान का नुकसानी पंचनामा प्र.पी.04 बनाया था, जिसमें कुल 40,000/- हजार रुपये का नुकसान हुआ था, नुकसानी पंचनामा प्र.पी.04 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपीगण भारत सिंह एवं संजय सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्र.पी.05 एवं प्र.पी.06 बनाये गये, जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा अग्रिम विवेचना हेतु डायरी प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र को सौंप दी थी। प्रति-परीक्षण उपरांत भी साक्षी एसआई विलियम मुण्डा अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रकरण में उसके द्वारा की गई विवेचक किये जाने के तथ्य के संबंध में तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है। परन्तु यह साक्षी भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। चूँकि अभियोजन कथा प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है, ना कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर। इसलिए मात्र विवेचक एसआई विलियम मुण्डा अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के आधार पर आरोपित अपराध को प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

12. अभियोजन साक्षी ब्रजराज सिंह अ.सा.03 उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 07/02/2013 को थाना गोहद चौराहा में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सैनिक रजनीश द्वारा एसआई विलियम मुण्डा द्वारा हस्ताक्षरित देहाती नालसी अपराध क्रमांक 03/13 अन्तर्गत धारा 147, 148,

341 एवं 427 भा.द.सं. की असल अपराध हेतु लाकर पेश की गई थी, जिस पर से असल अपराध क्रमांक 40/2013 उपरोक्त धाराओं के तहत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उक्त असल अपराध देहाती नालसी के मुताबिक आरोपी संजय सिंह, भारत सिंह कुशवाह एवं तीस-चालीस अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध लेखबद्ध की गई थी। तत्पश्चात् एफआईआर विवेचना हेतु एएसआई विलियम मुण्डा को सौंप दी थी। प्रति-परीक्षण उपरांत ब्रजराज अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य पूर्णतः अखण्डित रहा है।

13. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपीगण संजय सिंह एवं भारत सिंह ने दिनांक :- 07/02/13 को रात्रि लगभग 07:45 बजे नेशनल हाईवे भिण्ड-ग्वालियर रोड़ सर्वा के पास, सहअभियुक्त एवं अन्य 30 लोगों के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया एवं उक्त विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सहअभियुक्त के साथ मिलकर वाहन आयशर 1110 क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2214 में सवार शैलेन्द्र को उस दिशा में जाने से रोककर जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी शैलेन्द्र को नुकसान कारित करने के आशय से फरियादी के वाहन आयशर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./2214 के वाहन के शीशे एवं एंगल तोड़कर फरियादी शैलेन्द्र को 40,000/- रुपये का नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की।

14. अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध धारा 147, 341/34 एवं 427/34 भा.द.सं. का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 147, 341/34 एवं 427/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

15. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद